27/7/2017 पंचायती पेश हुई। गैर आबाद बाय गुर हतला
गैर मुमकिन। पंचायती का अवलोकन किया
संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी
हल्का मेड़ास ने मौजा लाडवा के ख.नं.
585 रकबा 50 बीघा भूमि किस्म भूमि गैर मुमकिन
सम्पूर्ण सिंह दलीप सिंह पुत्र कालू सिंह जाति राजपूत
निवासी - लाडवा के विरुद्ध नाजायज रूप से अतिक्रमण
करने के सम्बन्ध में धा.वी. रिपोर्ट पेश की गई।
जिस पर इस न्यायालय ने राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत राजस्व
प्रकरण दर्ज कर गैर काश्त नोटिस जारी
किया गया गैर काश्त को राजकीय भूमि गै० खा०
पर अतिक्रमण करने से अतिक्रमी घोषित किया
जाकर राजकीय भूमि गै० ख० से हटाने हेतु किये गये
अतिक्रमण को मौखिक रूप से बेदखल करने एवं
आबादी के लगान का पचास गुणा, जुर्माना
राशि 2/- रु० (दो रुपये मात्र) काश्त किये जाने हेतु
पटवारी हल्का मेड़ास को मौखिक बेदखली एवं
जुर्माना राशि की वसूली हेतु लिखा जाकर
आबादी जुर्माना मौजा वसूली हेतु दि० 31.8.17
को भेजी जाकर पंचायती किसी प्रकार होकर
नामदर्ज के कम से निर्णय पारित किनोक
27/7/2017 को सुने - मायपाल के सुनाया गया।

तहसीलदार, बिदावाटी
(डीडवाना - कुचामन)